न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00331

1. सत्यनारायण आत्मज श्री रामकिशन जाति मीणा ।
2. कालू आत्मज श्री रामकिशन जाति मीणा निवासीगण ग्राम शम्भूपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बाला आत्मज श्री भुवाना जाति बलाई (मेघवाल) (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. महावीर पुत्र स्व0 बाला जी ।
   1/2. इन्द्रा पुत्री स्व0 बाला जी ।
   1/3. मंजू पुत्री स्व0 बाला जी ।
   1/4. कमला पुत्री स्व0 बाला जी ।
   1/5. अनिता पुत्री स्व0 बाला जी ।
   1/6. रेकू पुत्री स्व0 बाला जी ।
   1/7. किशोर पत्नी स्व0 बाला जी जाति बलाई निवासीगण ग्राम सुंवासा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. श्रीमती रामी बाई पुत्री श्री भुवाना जाति बलाई (मेघवाल) (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. रामकल्याण पुत्र
   2/2. बबलू पुत्र
   2/3. मैना पुत्री
   2/4. राजू पुत्री
   2/5. रानी पुत्री समस्त जाति बलाई (मेघवाल) निवासीगण ग्राम सुवांसा तहसील जिला बून्दी ।
3. मोहन आत्मज श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) ।
4. रमेश आत्मज श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) ।
5. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) ।
6. श्रीमती कमला बाई पुत्री श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासीगण ग्राम सुवांसा तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. दी स्टेट ऑफ राज0 ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रूपेश ऋृंगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत हक घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बड़ूदा तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 647 की रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण द्वारा अमरा आत्मज हीरा एवं देवलाल आत्मज माधव जाति गुर्जर से दिनांक 20.02.1980 को 20,000/– रूपये प्रतिफल में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो रहा है परन्तु प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही इस भूमि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार बन चुके हैं और प्रतिवादीगण के उक्त भूमि से अधिकार समाप्त हो गये हैं । उक्त भूमि सहवन से प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई जिसका वह नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से वादीगण को बेदखल करने कब्जा करने पर आमादा हैं । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना भी आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त भूमि को रहन, बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2015 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने उक्त भूमि तत्कालीन खातेदार श्री अमरा व देवलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.02.1980 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से ही वे उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । राजस्व अधिकारियों ने उक्त भूमि गलत तौर पर प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट का न तो कोई सम्बन्ध रहा है और न ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा है । रेस्पोडेन्टगण ने अपने जवाबदावे

में भी उक्त भूमि से उनका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होना कथन किया है । अपीलान्टगण ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है उक्त दस्तावेज को राज्य सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया था । वादग्रस्त आराजी पूर्व में अमरा आत्मज हीरा एवं देवलाल आत्मज माधो जाति गुर्जर के खाते में दर्ज थी । तत्कालीन खातेदारान ने वादीगण को आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.02.1980 को विक्रय कर कब्जा संभलाया है और तब से ही इस आराजी पर बहैसियत खातेदार वादीगण काबिज चले आ रहे हैं । राजस्व अधिकारियों ने गलत तौर पर आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दी है जबकि प्रतिवादीगण का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उनका इस पर कब्जा है । प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में इस आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होना और कभी भी कब्जा नहीं होने स्वीकार किया है । कयास के आधार पर दावा वादी खारिज किया गया है । प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेख की त्रुटि का फायदा उठाकर आराजी का विक्रय करना चाहते हैं। वादी के द्वारा पेश साक्ष्य का सही रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है । जवाबदावे में एडमिशिन के उपरान्त रेस्पोडेन्ट अपील में न तो कोई दस्तावेज उसके विपरीत पेश कर सकते हैं और न ही अन्य कोई कथन कर सकते हैं । जब तक परीक्षण न्यायालय में जवाबदावे को संशोधित नहीं किया जाता है तब तक रेस्पोडेन्ट के दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर नही लिया जा सकता । प्लडिंग्स के विपरीत किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के रेस्पोडेन्ट अधिकारी नहीं हैं और ऐसे तथ्य जिनको प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में स्वीकार किया है उनको प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होती है । एक बार प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में जिन तथ्यों को स्वीकार किया है उसके विपरीत कथन करने की उनको इजाजत नहीं दी जा सकती । तद्नुसार रेस्पोडेन्ट को जवाबदावे को संशोधित करने की अनुमति भी प्रदान नहीं की जा सकती । वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जावे, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरआरटी 2019 (2) पेज 1354 में होल्ड किया है । अपीलीय न्यायालय में नये दस्तावेजात उन्हीं परिस्थितियों में पेश किये जा सकते हैं जब पक्षकार यह सिद्ध कर दें कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा इस दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने से इंकार किया हो । नये दस्तावेजात को अपील में रिकॉर्ड पर लेने से पूर्व आदेश 41 नियम 28, 29 की पालना आवश्यक है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2006 (1) पेज 19, डीएनजे 2007–08 (सप्ली0) पेज 321, आरआरटी 2013 (2) (एससी) पेज 1044, एआईआर 1991 पेज 151, एआईआर 1987 पेज 409, एआईआर 1988 पेज 716, आरएलडब्ल्यू 2003 (4) पेज 2323, डीएनजे 2007 (एससी) पेज 1070, 2019 (1) सीजे (सिविल) (राज0) पेज 657, 2018 (2) सीजे (सिविल) (एससी) पेज 442 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी को हक घोषणा के दावे में अपना पक्ष स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी ने अपने दावे में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी जो कि रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है वो किस आधार पर रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज हुई । अपील में अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे की बात करते हैं जबकि यदि उनके द्वारा विक्रय से वादग्रस्त आराजी क्रय की है तो यह परमिजिव पजेशन और परमिजिव पजेशन कभी भी प्रतिकूल नहीं होता है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो दस्तावेजात पेश किये हैं वो पक्षकार के अधिकार एवं स्वत्व को तय करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं और राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनको मौखिक बयानों से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है । दस्तावेजात प्रकरण से प्रासंगिक हैं । अतः इनको रिकॉर्ड पर लिया जावे । वादग्रस्त आराजी पूर्व विक्रय से रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज हुई थी । रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । अपीलान्ट ने पश्चात्वर्ती विक्रय से आराजी क्रय की है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2015 बहाल रखा जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आन्धप्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय दिनांक 18 जनवरी, 1999, 2018 (एससी) केसेज एससीसी पेज 574 एवं एससीसी रामनगीना बनाम कुमार राय उद्धरत की ।

10. अपील में रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने की प्रार्थना की । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2028–2047 जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी अमरा वल्द हीरा के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2062–65 जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 287 की प्रमाणित प्रति है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी सन् 1972 में विक्रय के आधार पर भुवाना के खाते में दर्ज हुई है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 647 का हाल खसरा नम्बर 437 कायम किया गया है और नकल जमाबन्दी संवत् 2024–27 वादग्रस्त आराजी भुवाना के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2020–23 के अनुसार अमरा वल्द हीरा और देवलाल वल्द माधो के खाते में है ।

11. इस प्रार्थना पत्र का अपीलान्ट के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है और यह कथन किया है कि प्लीडिंग्स के बाहर इन दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता और परीक्षण न्यायालय में पेश नहीं करने के कारण नहीं बताये हैं । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

12. हमने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् *अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । उक्त दस्तावेजात में राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ हैं और प्रकरण से सम्बन्धित हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता।* इन दस्तावेजात को मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है । अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा का दावा यह कथन करते हुए पेश किया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी सन् 1980 में अमरा वल्द हीरा एवं देवलाल वल्द माधो से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करके कब्जा प्राप्त किया है । परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादीगण ने जो जवाबदावा पेश किया है उसका भी अवलोकन किया । रेस्पोडेन्ट कम 1, 2 लगायत 4 लगायत 7 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया है उसमें दावा वादी स्वीकार करने में अनापत्ति व्यक्त की गई है । पत्रावली पर मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श– 1, नकल जमाबन्दी संवत् 2062–65 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी बाला पुत्र भवाना, नटी बेवा भवाना, रामी पुत्री भवाना, बाबू, मोहन, रमेश पि0 रामपाल, प्रेम, कमला पुत्री रामपाल के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– 3 सिंचाई विभाग की रसीद है । प्रदर्श– 4 असल रजिस्ट्री है । प्रदर्श– 4 ए रजिस्ट्री की फोटो प्रति है । प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल की प्रति है । प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी संवत् 2020–23 है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी अमरा वल्द हीरा और देवलाल वल्द माधो के खाते में दर्ज है ।

14. वादी की ओर से बयान सत्यनारायण पीडब्ल्यू– 1 कराये गये हैं । कालू का शपथ पत्र संलग्न है परन्तु उनके द्वारा अपने शपथ पत्र की न्यायालय में उपस्थित होकर ताईद नहीं की गई है।

15. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये विक्रय पत्र अमरा वल्द हीरा और देवलाल वल्द माधो से सन् 1980 में क्रय की थी उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के खाते में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज की गई है । वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । तद्नुसार वादी को अपने दावे में स्पष्ट रूप से यह अंकित करना चाहिए कि प्रतिवादी के खाते में यह आराजी किस आधार पर दर्ज हुई है वो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी, नामान्तकरण आदि की नकल प्राप्त करके यह स्पष्ट रूप से अंकित कर सकते थे कि प्रतिवादीगण के खाते में यह आराजी किस आधार पर दर्ज हुई है । प्रतिवादीगण के खाते में यह आराजी सन् 1972 में सन् 1965 के विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज हुई है और वादीगण के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है वो उसके बाद का है । जब एकबार विक्रय के आधार पर प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज हो चुकी है और पश्चात्वर्ती क्रेता को विक्रय के आधार पर वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं व अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति के । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर कम में यदि प्रतिवादीगण की जवाबदावे में संशोधन की अनुमति प्रदान नहीं की जावे तब भी वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होगा और द्वितीय विक्रय के आधार पर वादी को हक घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती ।

16. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने जो नजीरें उद्धरत की हैं 2018 (2) सीजे (सिविल) (एससी) पेज 442 एवं 2019 (1) सीजे (सिविल) (राज0) पेज 657 यहॉ चस्पा नहीं होती है क्योंकि पेश किये गये दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता व उनको परीक्षण न्यायालय में मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित करवाना भी आवश्यक नहीं है। विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीर आरआरटी 2019 (2) पेज

1354 (एससी) भी यहॉ चस्पा नहीं होती है क्योंकि धारा 42 बी के उल्लंघन में प्रतिकूल कब्जे से वादीगण को खातेदारी नहीं दी जा सकती ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2015 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 30.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2015/00331

1. सत्यनारायण आत्मज श्री रामकिशन जाति मीणा ।
2. कालू आत्मज श्री रामकिशन जाति मीणा निवासीगण ग्राम शम्भूपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बाला आत्मज श्री भुवाना जाति बलाई (मेघवाल) (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. महावीर पुत्र स्व0 बाला जी ।
   1/2. इन्द्रा पुत्री स्व0 बाला जी ।
   1/3. मंजू पुत्री स्व0 बाला जी ।
   1/4. कमला पुत्री स्व0 बाला जी ।
   1/5. अनिता पुत्री स्व0 बाला जी ।
   1/6. रेकू पुत्री स्व0 बाला जी ।
   1/7. किशोर पत्नी स्व0 बाला जी जाति बलाई निवासीगण ग्राम सुंवासा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. श्रीमती रामी बाई पुत्री श्री भुवाना जाति बलाई (मेघवाल) (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   2/1. रामकल्याण पुत्र
   2/2. बबलू पुत्र
   2/3. मैना पुत्री
   2/4. राजू पुत्री
   2/5. रानी पुत्री समस्त जाति बलाई (मेघवाल) निवासीगण ग्राम सुवांसा तहसील जिला बून्दी ।
3. मोहन आत्मज श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) ।
4. रमेश आत्मज श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) ।
5. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) ।
6. श्रीमती कमला बाई पुत्री श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासीगण ग्राम सुवांसा तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. दी स्टेट ऑफ राज0 ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 53/दावा/2008

1. सत्यनारायण आत्मज श्री रामकिशन जाति मीणा ।
2. कालू आत्मज श्री रामकिशन जाति मीणा निवासीगण ग्राम शम्भूपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. बाला आत्मज श्री भुवाना जाति बलाई (मेघवाल) ।
2. श्रीमती रामी बाई पुत्री श्री भुवाना जाति बलाई (मेघवाल) ।
3. बाबू आत्मज रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) ।
4. मोहन आत्मज श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) ।
5. रमेश आत्मज श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) ।
6. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) ।
7. श्रीमती कमला बाई पुत्री श्री रामपाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासीगण ग्राम सुवांसा तहसील एवं जिला बून्दी ।
8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.08.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 की ओर से अभिभाषक श्री रूपेश श्रृंगी के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा